

प्रकरण संख्या 77/17

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 18.05.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर
प्रार्थी.....

बनाम
श्रवणराम पुत्र अमदाराम जाति जाखड़ निवासी लालगढ़
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 24.08.2017

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी श्रवणराम पुत्र अमदाराम जाति जाखड़ निवासी लालगढ़ नोखा सड़क मार्ग के उत्तर दिशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 39.00 वर्ग मीटर भूमि पर दीवार का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तारीख पेशी की नियत दिनांक को अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी श्रवणराम पुत्र अमदाराम जाति जाखड़ निवासी लालगढ़ ने सा0नि0वि0 की सड़क सीमा में 39.00 वर्ग मीटर भूमि पर दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और साहयक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 39.00 वर्ग मीटर की राशि 01/- एक रुपया वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर